कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कासगंज।

नीलामी सूचना

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय कासगंज के 18 न्यायालय भवन स्थित मामों, कासगंज में कार / मोटर साईकिल / साईकिल स्टैण्ड, कैण्टीन एवं फोटोस्टेट हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक) के लिये ठेके की नीलामी दिनांक 31.03.2023 को समय 1:30 बजे जनपद न्यायालय कासगंज के केन्द्रीय नजारत अनुभाग में की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति समय से उपस्थित आकर नीलामी की कार्यवाही में भाग ले सकते है। ठेका का विवरण एवं शर्तों के सम्बन्ध में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय कासगंज से जानकारी ली जा सकती है।

कार / मोटर साईकिल / साईकिल स्टैण्ड, कैण्टीन एवं फोटोस्टेट हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक) के लिये नियम व शर्तें -

1. समस्त ठेकों की अवधि वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 के लिये) तक रहेगी।
2. सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोडा जायेगा।
3. ठेके की धनराशि का ¼ भाग उसी समय जमा करना होगा। शेष ¼ भाग माह जुलाई 2023 में, शेष ¼ भाग माह नवम्बर 2023 में एवं शेष ¼ भाग माह फरवरी 2024 के प्रथम सप्ताह में जमा करना होगा।
   - अ. ठेका कैंटीन वित्तीय वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही में ठेका 7,04,880/-रूपये में छोड़ा गया था। ठेका कैंटीन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में नीलामी के लिये बोलीदाता उपलब्ध न होने के कारण नीलामी की प्रक्रिया नही हो सकी। इस प्रकार पूर्व वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10 प्रतिशत बढ़ाकर कुल मुव0-7,04,880/-रूपये से बोली शुरू की जायेगी।
   - आ. ठेका फोटोकापी हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुव-6,72,000/-रूपये में 10 प्रतिशत बढ़ाकर कुल मुव0-7,39,200/-रूपये से बोली शुरू की जायेगी।
   - इ. ठेका मोटर साईकिल/कार/साईकिल स्टैण्ड हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुव-14,05,000/-रूपये में 10 प्रतिशत बढ़ाकर कुल मुव-15,45,500/-रूपये से बोली शुरू की जायेगी।
4. प्रत्येक बोलीदाता को अंकन 25,000/- रूपये बोली बोलने से पूर्व जमा करने होगें तथा साथ में अपना आई डी प्रूफ जमा करना होगा।
5. बोली बोलने वाला व्यक्ति काली सूची के अन्तर्गत न आता हो और कोई आपराधिक मामला पंजिकृत न हुआ हो और न ही किसी भी प्रकार का मामला विचारीधीन हो।
6. बोली स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज के पास सुरक्षित रहेगा।
7. ठेकेदारों को अपनी दुकान व आस-पास की साफ सफाई की व्यवस्था स्वयं करनी होगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं-139 दिनांक 18.03.1979 के अनुसार प्रत्येक सामान की दर सूची प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय कासगंज द्वारा सत्यापित करा कर ऐसे स्थान पर लगानी होगी जहाँ से प्रत्येक ग्राहक सूची को आसानी से देख सके।
8. ठेकेदार ठेके की अवधि में उपभोग की गयी विद्युत का खर्चा स्वयं वहन करेगा।
9. ठेकेदार के पक्ष में छोडे गये ठेके की धनराशि के मूल्य के जमानत प्रपत्र प्रस्तुत करने होगें एवं जिस व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय के प्रपत्र सं0-31/S दिनांकित 16.03.1988 में दी गयी शर्तों के अनुसार ठेकेदार को बोली के पश्चात 100 /-रूपये का स्टाम्प पेपर ले कर आना होगा और अनुबंध पत्र निस्पादित करना होगा।

20.03.23

(गगन कुमार भारती)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0 3, कासगंज।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. जिला सूचना अधिकारी, कासगंज को शासनादेश सं0 562 / उन्नीस-2-2007-107(टी.सी.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त स्थानीय समाचार-पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जान हेतु।
2. 18 न्यायालय कक्ष भवन जजी कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
3. कलेक्ट्रेट कासगंज के सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।
4. समस्त सार्वजनिक स्थान कासगंज पर चस्पा करने हेतु।
5. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को जनपद न्यायालय कासगंज एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

28.02.23

(गगन कुमार भारती)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0 3, कासगंज।